

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फ़ैक्स नं०: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 1496 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक 21 / 10 / 2024
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाड़ी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या-12710/2015)

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का EDS Dated 27.03.2024.
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियां लगायी गयी थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० 1	As per DSS report, proposed area comes to 5-76ha. Instead of 0.99 ha. State Government is requested to submitted clarification in this regard and upload correst KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का पुनरीक्षित मैप बनाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है (संलग्न)
2	It appears that the complete KML file of the area proposed for diversion (Forest & revenue) is not uploaded. State Government is requested to upload the complete KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की पूरी KML फाइल अपलोड कर दी गयी है।
3	Location of the muck dumping area is not found marked in the KML file. it is requested to mark the location of the sites proposed for muck dumping in the KML file of the diversion area.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML फाइल एवं जियो रिफरेंस, टोपोसीट मैप में Muck dumping Location दर्शा दिया गया है तथा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	There are total 980 trees those are marked for felling. Therefore, plantation scheme for 980 trees and location KML file is required to the submitted.	980 वृक्षों का वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
5	The proposed diversion area is 0.99 ha or say 1.00 ha. A site inspection report (SIR) of DFO is required to be submitted mentioning proper length of road in dorest area.	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी० के सापेक्ष 0.99 है० क्षेत्र पाया गया। (SIR report संलग्न है।)
6	If the proposed diversion area become 1.00ha then the CA is required to be submitted on Non forest Land otherwise CA scheme along with the KML file. maps, Suitability Certificate, etc shall be submitted over NFL/DFL/Civil soyam etc land.	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को लोक निर्माण विभाग कपकोट एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी कपकोट के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 1100 मी० के सापेक्ष 0.99 है० क्षेत्र पाया गया।

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"

7	SIR of DFO does not contain proposal details, so SIR revised format is required to be furnished.	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR Report संलग्न है।
8	Three alternatives of proposed road with comparative statements is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है। कि पहाड़ की विषम एवं भौगोलिक परिस्थिति के कारण तृतीय Alternatives ऐलाइमेन्ट किसी भी बिन्दु से ले जाने योग्य नहीं है। पूर्व में विभाग से स्वीकृत ऐलाइमेन्ट में भी दो ही विकल्प रखे गये हैं। तथा यह Shortest ऐलाइमेन्ट भी है।

भवदीय,



(ध्रुव सिंह मथुरा)

प्रभागीय वनाधिकारी

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर